UPAD010025352014

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या 02 प्रयागराज।

उपस्थित– श्रीमती अनुराधा पुण्डीर, ... एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण संख्या–1072 सन् 2014

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी

बनाम

अनिल कुमार शुक्ला पुत्र राम मुरारी शुक्ला, निवासी कुढ़ा, थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद।

.....अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या 113/2014

अन्तर्गत धारा 376, 452, 506 भा0दं0सं0

थाना नवाबगंज़, जिला प्रयागराज

संक्षित विवरण

1.	अपराध संख्या	113/2014
2.	अन्तर्गत धारा	376, 452, 506 भा.दं.सं.
3.	थाना	नवाबगंज़
4.	जनपद	प्रयागराज
5.	नाम अभियुक्त	अनिल कुमार शुक्ला
6.	नाम वादी मुकदमा	हरिशचन्द्र
7.	अपराध की तिथि	23.02.2014
8.	अपराध का समय	12 बजे दिन
9.	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि	27.02.2014
10.	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का समय	20.10 बजे
11.	प्रसंज्ञान की तिथि	05.06.2014
12.	सत्र सुपुदर्गी का दिनांक	26.09.2014

12.	आरोप विरचन की तिथि	24.11.2015
13.	बयान 313 दं0प्र0सं0 अंकन की तिथि	03.01.2025 व 11.06.2026
14.	बहस सुनने की तिथि	29.06.2026
15.	निर्णय पारित करने की तिथि	10.07.2026
16.	निर्णय का निष्कर्ष	

उपस्थित –

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौ) .... श्री राज कुमार।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता विजय लक्ष्मी, एडवोकेट

निर्णय

1. थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 113/2014 अन्तर्गत धारा 376, 452, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में विवेचना के उपरान्त न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय कक्ष संख्या 10, इलाहाबाद में आरोप पत्र प्रदर्श क–11 प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय, इलाहाबाद को सुपुर्द किया गया। तदोपरान्त माननीय सत्र न्यायालय, प्रयागराज के आदेश से मामले की पत्रावली स्थानान्तरित होकर विचारण हेतु अन्ततः इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 228(ए)** के प्रावधानों व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **उड़ीसा राज्य बनाम सुकरू गौड़ा, ए0आई0आर0 2009 एस0सी0 1019** तथा **प्रेमिया बनाम राजस्थान राज्य, 2008 (68) ए0सी0सी0 54** मे प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के आलोक में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत निर्णय में पीड़िता के वास्तविक नाम के स्थान पर शब्द ''पीड़िता'' का उल्लेख किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा हरिशचन्द्र द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को दिनांक 27.02.2014 को समय 20.10 बजे इस आशय तहरीर प्रदर्श क–1 दी गयी कि ''...प्रार्थी हरिश्चन्द्र पुत्र लाल बहादुर, निवासी कुठा, थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद का निवासी है। कल दिनांक 23.02.2014 को दिन में 12 बजे के लगभग प्रार्थी की पुत्री पीड़िता उम्र लगभग 18 वर्ष घर में अकेली थी। पुत्री पीड़िता का घर में अकेला पाकर प्रार्थी का पड़ोसी अनिल शुक्ला व उसका भाई सुनील शुक्ला पुत्रगण राम मुरारी शुक्ला

मेरे घर में घुस आये तथा मेरी पुत्री को तमंचा दिखाकर उसके साथ दोनों ने बारी–बारी से बलात्कार किया। जब मैं घर आया तो मेरी पुत्री बेसुध पड़ी थी। होश में आने पर मेरी पुत्री ने सारी घटना मुझे बतायी। जाते–जाते दोनों लोगो धमकी देके गये कि किसी को यह घटना बतायी तो पूरे परिवार को जान से मार देगें। प्रार्थी अपनी पुत्री को लेकर थाना नवाबगंज गया, किन्तु थानाध्यक्ष ने वहां से भगा दिया। आपसे अनुरोध है कि उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें।... ''

4. वादी मुकदमा द्वारा दी गई उक्त हस्त लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दिनांक 27.02.2014 को समय 20.10 बजे मुकदमा अपराध संख्या 113/2014 अन्तर्गत धारा 376घ, 452, 506 भा0दं0सं0 थाना नवाबगंज़, जिला इलाहाबाद/प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–12 अनिल शुक्ला व सुनील शुक्ला के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

5. प्रकरण की विवेचना थानाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह द्वारा की गयी। मामले की पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण दिनांक 25.02.2014 को किया गया तथा पूरक चिकित्सकीय परीक्षण आख्या तैयार की गयी।

6. विवेचक द्वारा घटना स्थल पर जाकर वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया तथा साक्षियों के बयान अंकित किये गये, विवेचना पूर्ण करते हुये संकलित साक्ष्य के आधार पर मात्र अभियुक्त अनिल कुमार शुक्ला के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–11 अन्तर्गत धारा 376, 452, 506 भा0दं0सं0 विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर तत्कालीन विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 10, प्रयागराज द्वारा दिनांक 05.06.2014 को प्रकरण का प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त को धारा 207 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये अभियोजन प्रपत्रों की नकलें उपलब्ध करायी गयी तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 10, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2014 द्वारा मामला अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण सत्र सुपुर्द किया गया।

7. आदेश दिनांकित 24.11.2015 को अभियुक्त अनिल कुमार शुक्ला के विरूद्व धारा 376, 452, 506 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा लगाये गये आरोपों में दोषी नहीं होने का अभिवाक किया गया तथा परीक्षण की याचना की गयी।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोपों को सिद्ध करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं :–

मौखिक साक्ष्य

क्रम सं.	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
1	पी0डब्लू0 1	हरिशचन्द्र	वादीमुकदमा
2	पी0डब्लू0 2	पीड़िता	पीड़ित साक्षी
3	पी0डब्लू0 3	डा0 अनीता यादव	विशेषज्ञ साक्षी
4	पी0डब्लू0 4	पंकज कुमार सिंह	विवेचक
5	पी0डब्लू0 5	हे0का0 अर्चना चौधरी	पुलिस साक्षी (एफ.आई.आर. लेखक)
6	पी0डब्लू0 6	डी.एस.पी.प्रतिमा सिंह	विवेचक

प्रलेखीय साक्ष्य

क्रम सं.	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श संख्या	किस साक्षी द्वारा साबित किया गया
1	तहरीर अभियोगी	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0 1 द्वारा
2	बयान अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं.	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0 2 द्वारा
3	चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0 3 द्वारा
4.	पूरक चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0 3 द्वारा
5	पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. अंकित कराने का प्रार्थनापत्र	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0 4 द्वारा
6	अवलोकन 164 द0प्र0सं0 हेतु प्रार्थनापत्र	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0 4 द्वारा
7	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0 4 द्वारा
8	सी0सी0टी0वी0 फुटेज प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रा0पत्र	प्रदर्श क–8 व प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0 4 द्वारा
9	सी0डी0आर0 प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0 4 द्वारा
10	आरोप पत्र	प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0 4 द्वारा
11	चिक एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–12	पी0डब्लू0 5 द्वारा
12	नकल रपट	प्रदर्श क–13	पी0डब्लू0 5 द्वारा
13	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–14	पी0डब्लू0 6 द्वारा
14	नकल रपट नं. 10	प्रदर्श क–15	पी0डब्लू0 6 द्वारा

अभियोजन की ओर से उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा पी0डब्लू0 1 के साक्ष्य को गलत होने और उसके द्वारा गलत रूप में प्रदर्श क–2 व बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 साबित किये जाने का कथन किया गया है। पी0डब्लू0 2 व पी0डब्लू0 3 के साक्ष्य के संबंध में अभियुक्त ने कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है। पी0डब्लू0 4 के बयान के संबंध में अभियुक्त ने कथन किया कि 164 का बयान गलत है। सी0सी0टी0वी0 प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र बचाव पक्ष द्वारा ही दिया गया है, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। पी0डब्लू0 4 द्वारा फर्जी तरीके से प्रदर्श तैयार किये गये हैं। पी0डब्लू0 5 द्वारा फर्जी पेपर प्रदर्श क–12 व प्रदर्श क–13 को साबित किये जाने का कथन करते हुये सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा मुकदमा रंजिशन चलने व स्वयं के विरूद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराये जाने का कथन किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त का अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 भी अंकित किया गया है, जिसमें उसके द्वारा डी0एन0ए0 प्रोफाईल रिपोर्ट में प्रदर्श ए, प्रदर्श बी, प्रदर्श सी और प्रदर्श डी स्रोतों से प्राप्त डी0एन0एन प्रोफाईल की रिपोर्ट कागज संख्या 36ख/8 लगायत 36ख/12 में अभियुक्त का सैम्पल नहीं होने और उसके विरूद्ध फर्जी कागजात तैयार किये जाने का कथन करते हुये कहा है कि उसका मेडिकल नहीं करवाया गया है। धारा 53 द0प्र0सं0 का पालन नहीं किया गया है, वह निर्दोष है और डी0एन0ए0 रिपोर्ट में उसका सैम्पल नहीं है।

10. अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है :–

क्रम सं.	**साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**	**साक्षी की प्रकृति**
1	डी0डब्लू0 1	अवधेश कुमार मिश्र	अभियुक्त के पड़ोसी
2	डी0डब्लू0 2	अनिल कुमार शुक्ला	अभियुक्त स्वयं

11. मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

12. अभियुक्त पर आरोप है कि दिनांक 23.02.2014 को समय करीब 12 बजे दिन बहद घटना स्थान मकान वादी ग्राम कुठा, अन्तर्गत थाना नवाबगंज में

अभियुक्त ने वादी मुकदमा हरिश्चन्द्र के घर में घुस कर उसकी पुत्री/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा व सम्मति के बिना जबरदस्ती बलात्कार किया तथा उसको जान से मारने की धमकी दिया।

13. इस प्रकरण में अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित करने का सिद्ध भार अभियोजन पक्ष पर है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न विधि व्यवस्थाओं मे अवधारित किया है :–

> Hon'ble Apex Court in **Tika Vs. State of U.P., A.I.R. 1974 S.C. 155** has propounded that the prosecution is to establish its case beyond reasonable doubt, falsity of defence is not material. In Kali Ram Vs. State of H.P., A.I.R. 1973 S.C.2773, Hon'ble Court has propounded that one of the cardinal principles, which has always to be kept in view in our system of administration of justice for criminal cases, is that a person arraigned as an accused is presumed to be innocent, unless that presumption is rebutted by the prosecution by production of evidence, which shows him to be guilty of the offence, by which he has been charged. **Hon'ble Apex Court in State of U.P. Vs. Anil Singh, reported in A.I.R. 1988 S.C. 1998,** has discussed the duties of the Presiding Officer, presiding as Judge of a court, administering justice in criminal side and has held that acquittal on flimsy ground would shake basic fabric of our constitution. Justice social, economical and political, being one of aloed objects as reflected in preamble of constitution, Judge does not preside over a trial merely to see that no innocent man is punished. A Judge also presides to see that a guilty man does not escape. One is as important as the other. Both are public duties, which the Judge has to perform.

14. उपरोक्त विधि व्यवस्था में पारित अभिमत के प्रकाश में उपरोक्त आरोप के सन्दर्भ में अन्तिम निर्णय तक पहुॅचने हेतु दं0प्र0सं0 की धारा–354 (ख) के अन्तर्गत निम्नलिखित विनिष्चय बिन्दु अवधारित किया गया :–

> **क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.02.2014 को समय करीब 12 बजे दिन बहद स्थान मकान वादी ग्राम कुठा, थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज में वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसकी पुत्री/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा व सम्मति के बिना जबरदस्ती बलात्कार किया ?**

15. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त वादी मुकदमा पड़ोसी है और उसके द्वारा पीड़िता की इच्छा व सम्मति के बिना जबरदस्ती पीड़िता के घर मे घुसकर बलात्कार किया। यह भी तर्क दिया कि पीड़िता ने अपने बयान से अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप साबित किया है। पीड़िता के बयान की सम्पुष्टि अन्य साक्षियों के मौखिक साक्ष्य तथा अभियोजन के दस्तावेजी साक्ष्य से भी हो रही है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अभियोजन पक्ष ने सन्देह से परे साबित किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को लगाये गये आरोप में दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी।

16. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान सहायक शासकीय जिला अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दिये गये उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए इस आशय की लिखित बहस दाखिल की गयी है कि घटना के दिनांक, समय व स्थान पर पीड़िता की इच्छा व सम्मति के बिना अभियुक्त द्वारा बलात्कार नहीं किया गया है। अभियुक्त झूठा रंजिशन फंसाया गया है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी के परिवार में 10 सदस्य थे, लेकिन तीन के होने का जिक्र किया गया है तथा घटना के समय पीड़िता को घर पर अकेले होने की बात कही गयी है। अभियुक्त अनिल शुक्ला प्रस्तुत घटना के पूर्व से ही दांये हांथ का विकलांग है, जिसके संबंध में वादी ने तहरीर में कोई उल्लेख नहीं किया है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में घटना के महत्वपूर्ण तथ्यों को संबंध में गम्भीर विरोधाभाष है। इसके अलावा पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने के तथ्य की पुष्टि चिकित्सीय आख्या से भी नही हो रहा है। वादी के द्वारा दी गयी तहरीर मे किया गया कथन व न्यायालय मे दिया गया बयान विरोधाभाषी होने के कारण पीड़िता के साक्ष्य की बिना सम्पुष्टि कराये अभियुक्त को दोषसिद्ध नही किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप साबित नही हो रहा है। अतः अभियुक्त को लगाये गये आरोप में दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

17. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में पी0डब्लू0 1 हरिशचन्द्र/वादी मुकदमा को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''....घटना दिनांक 23.02.2014 की है। घटना वाले दिन मैं महेशगंज अपनी दुकान पर था। जब मैं अपनी दुकार पर बैठा था कि लगभग एक–डेढ़ बजे मेरे बगल गांव का एक लड़का जो मुझे जानता–पहचानता

था, मेरी दुकान महेश गंज आया और बताया कि तुम्हारे घर में कोई बात हो गयी है। आप तत्काल घर चले जाइये। इस सूचना पर मैं घर गया। घर जाकर देखा कि अगल–बगल के लोक इकट्ठा थे और मेरी लड़की बीच कमरे में बेसुध पड़ी थी। उसको बुला रहे थे, तो वह बोल नहीं रही थी। फिर पानी डाल कर मुंह धुलाये तब 10–15 मिनट में होश में आयी तो अपने उपर बीती घटना बतायी कि लगभग दिन के बारह बजे जब वह घर में अकेली थी, मां खेत पर गयी थी, उसी समय हाजिर अदालत अभियुक्त अनिल शुक्ला व इनके बड़े भाई जबरदस्ती घर में घुस आये। जबरदस्ती तमन्चा दिखाकर मेरी लड़की पीड़िता के साथ बारी–बारी से बलात्कार किया। घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष थी। इस घटना का पीड़िता ने विरोध किया तो तमंचा दिखा कर बलात्कार किया। बलात्कार करके जाते वक्त मुल्जिमानों ने कहा कि इस घटना के बारे में किसी से कहा तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। गांव वालों द्वारा 100 नम्बर पर पुलिस को सूचना दिया गया। एम्बुलेन्स 108 नम्बर की आयी। पीड़िता को लेकर थाने आये फिर पुलिस दरोगा जी को मैने घटना के बारे में बताया तो दरोगा जी ने लड़की की गम्भीर हालत को देखते हुये कहा कि इसको कौड़िहार अस्पताल ले जाईये। लड़की को लेकर कौड़िहार अस्पताल गया फिर डाक्टर ने इलाहाबाद के लिए रिफर कर दिया। फिर मैं अपनी लड़की को लेकर डफरिन अस्पताल ले आया। वहां पर 4–5 दिन लड़की का इलाज हुआ। इसके बाद अपने घर गये। घर पर किसी पड़ोसी ने घटना के बावत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट लिखाई। तहरीर लिखाने के बाद तहरीर पढ़कर सुनाया गया। जैसा मैने बोला था, वैसा ही लिखा गया था। यह प्रार्थनापत्र लिखकर एस.एस.पी. साहब के पास गया। उन्होने तहरीर को महिला थाना भेजा जहां दो दिन बाद इस घटना का मुकदमा कायम किया गया। सामिल पत्रावली कागज संख्या 5अ/2 देख कर सुनकर बताया कि यह वही तहरीर है, जिसे मैंने घटना के बावत दिया था। इसी के आधार पर मुकदमा कायम किया गया। तहरीर देख कर पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस घटना के बावत दारोगा जी ने मेरा बयान लिया था, उन्ही के साथ दरोगा जी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया था।...''

18. अभियोजन की ओर से बलात्कार की घटना की पुष्टि हेतु साक्षी पी0डब्लू0 2 पीड़िता को परीक्षित कराया गया है। पीड़िता ने न्यायालय में परीक्षित होकर सशपथ बयान किया है कि ''....घटना दिनांक 23.02.2014 की है। उस समय मैं अपने घर पर कपड़े सिल रही थी। मेरे गांव के सुशील व अनिल मेरे घर में आये और पूंछा कि घर में कोई है या नहीं। मैने बताया कि कोई नहीं है। मैंने पूंछा क्या काम है, तो बोले कुछ नहीं है। मैं उठकर बाहर के कमरे में आ गयी तो बड़े वाले

सुनील ने मुझे पीछे से धक्का दिया मैं गिर गयी उन्होने मुझे फिर से धक्का दिया मैं गिर गयी उठ नहीं पायी। मैने कहा कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उन्होने कहा कि क्या हुआ फिर मेरे मुंह को कपड़े से बांध दिया। फिर मेरा पैर भी बांध दिया। फिर उन्होने बारी–बारी से तमन्चा दिखाकर सुशील कुमार व अनिल शुक्ला ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। मै बेहोश हो गयी। बेहोश होने के पहले उन्होने कहा कि यह बात किसी से बतायी तो जान से मार देगें। इन लोगों की वजह से मैं बी0ए0 ।। का परीक्षा भी नहीं दे पायी।...'' इस साक्षी ने अपने दिनांक 22.09.2017 को अंकित अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के सन्दर्भ में अंकित अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 को सिद्ध किया है, जिसपर प्रदर्श क–2 डाला गया। घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। यही बात मैंने दरोगा जी को बतायी थी। बलात्कार का मतलब पेशाब के रास्ते को मुल्जिमानों द्वारा मेरे पेशाब के रास्ते में जबरदस्ती डाला गया।...''

19. अभियोजन की ओर से बलात्कार की घटना की पुष्टि हेतु साक्षी पी0डब्लू0 3 डा0 अनीता यादव को परीक्षित कराया गया है। पी0डब्लू0 3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''...मैं दिनांक 25.02.2014 को जिला महिला चिकित्सालय में तैनात थी। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या 113/2014 धारा 376डी, 452, 506 भा0दं0सं0 थाना महिला थाना की पीड़िता पीड़िता को महिला का0 सी0पी0 नं. 1126 श्यामा देवी द्वारा डाक्टरी परीक्षण के लिये लाया गया था। मैने तथा मेरे साथ नियुक्त डा0 श्वेता ने पीड़िता की मां आशा व पीड़िता पीड़िता से डाक्टरी परीक्षण हेतु अनुमति ली थी और उनका निशानी अंगूठा भी लगवाया था। जिसे डा0 श्वेता ने प्रमाणित किया था। पीड़िता की पहचान चिन्ह के रूप में पीड़िता के बांये गाल में तिल है। जो बांयी नाशिका से 4 से.मी. दूरी पर है। तथा दाहिने गाल पर भी तिल है, जो कि आंख की बाहरी कोने से 3 से.मी. की दूरी पर है। पीड़िता के अनुसार वह अविवाहित थी, जिसकी पिछली माहवारी 15 दिने पहले हुयी थी और उसका कोई प्रसूति इतिहास नहीं था। पीड़िता जिला महिला अस्पताल इलाहाबाद में दिनांक 23.10.2014 को 08.45 पी.एम. पर पेट में दर्द व उल्टी एवं जननांगों से रक्तस्राव की शिकायत की वजह से भर्ती थी। पीड़िता ने बताया कि उसके घर में घुसकर दो लोग अनिल शुक्ला व सुनील शुक्ला उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता ने अपने बचाव में संघर्ष किया और रोकने का प्रयास किया और एक व्यक्ति को चोट पहुंचायी। बाह्य परीक्षण पीड़िता की मानसिक दशा ठीक थी, वह पूरे होश में थी। नाड़ी गति 88 पर मिनट, बी.पी. 130/80, पीड़िता की उंचाई 10.45 से.मी. वजन 65 कि.ग्रा. पीड़िता के कांख का बाल मौजूद थे, जो मोटे व काले रंग के थे तथा गुप्तांग के बाल भी मोटे व काले

रंग के थे। वह पूर्ण विकसित थी। पीड़िता ने बताया कि मैने अपने कपड़े बदल लिये थे। फिर बताया कि मैने अपने अन्तःवस्त्र पेटीकोट व ब्रा नहीं बदले थे, जिसे शील पैक करके डी.एन.ए. टेस्ट के लिए भेजा गया। पीड़िता के शरीर बाह्य पर कोई चोट नहीं थे। आन्तरिक परीक्षण हाईमन झिल्ली पुरानी फटी हुई थी। स्पेकुलम वजाईना में आसनी से चला गया था। बजाईना के मोनी की गहराई में कोई इंजरी नहीं थी और योनी के निचले भाग (Postaial fongphette) में 1 से.मी. का ताजा सुपरफीसियल घाव था, जो 6 ओ क्लाक के पोजीसन में था। पीड़िता को परीक्षण के समय हल्का रक्तस्राव हो रहा था। जांच के लिए विजाईनल स्पियर स्लाईड पर लिया गया था। डी0एन0ए0 टेस्ट के लिए पीड़िता का गाढ़ा हरा कलर का पेटीकोट काटन का एवं ब्रा पिंक कलर से क्रेस्टिक काटन मटेरियल भेजा गया था। पीड़िता को एक्सरे व अल्ट्रासाउन्ड का सलाह दिया गया था। और पैथालाजी विजाइनर स्पियर शुक्राणू गोनोकोकाई की जांच के लिए वैजाइनर स्वाव भेजा गया था। एवं यूरिन, प्रेगेनेन्सी की जांच के लिए सलाह दिया गया था। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण 07.00 पी.एम. से 08.00 पी.एम. पर समाप्त हुआ था। राय मेरी राय में पीड़िता के आन्तरिक परीक्षण में पायी गयी चोट के आधार पर सेक्सुयल हमला हुआ था। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती रह कर आगे के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दिया गया। पीड़िता जांच संबंधी सूची पैथलाजी, रेडियोलाजी फार्म लिफाफे में सरवाईकल स्पियर व वजाइनल स्पियर व अल्टासाउन्ड फार्म दिया गया था। शामिल पत्रावली पेपर संख्या 8अ/1 लगायत 8अ/7 मेरे व डा0 श्वेता के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मै तस्दीक करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पूरक रिपोर्ट पीड़िता की जांच रिपोर्ट देखने पर मेरी राय में अल्टासाउन्ड रिपोर्ट शामिल थी। एक्सरे रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष के उपर की थी। पैथलाजी रिपोर्ट में वेजाइनल स्पियर शुक्राणू व गोनाकाकाई नहीं पाये गये थे। पीड़िता ने अपनी जन्म तिथि दिनांक 20.07.1995 बतायी थी। राय पीड़िता की रेडियोलाजिकल उम्र 18 वर्ष के उपर थी। पीड़िता के साथ सेक्सुअल हमला का प्रयास किया गया था। साक्षी को सामिल पत्रावली पेपर संख्या 8अ/11 लगायत 8अ/13 को दिखाया गया। साक्षी ने कहा कि यह पूरक आख्या रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।....''

20. अभियोजन की तरफ से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये बलात्कार की घटना के सम्बन्ध मे की गयी विवेचना की कार्यवाही व तैयार किये गये पुलिस प्रपत्रों को प्रमाणित करने के लिए पी0डब्लू0 4 पंकज कुमार सिंह, हाल तैनाती एयरपोर्ट सुरक्षा बमरौली, प्रयागराज को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने

न्यायालय मे परीक्षित होकर प्रस्तुत मामले की विवेचना ग्रहण करने और विवेचना के अनुक्रम मे पर्चा नं0–1 लगायत पर्चा नं0–22 को स्वयं किता किये जाने तथा बयान अभियुक्त सुनील कुमार शुक्ला एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सुनील कुमार शुक्ला का नाम निकाले जाने तथा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अनिल कुमार शुक्ला के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का कथन किया है। इस साक्षी के द्वारा पीड़िता के बयान 164 द0प्र0सं0 अंकित कराने के प्रार्थना पत्र को प्रदर्श क–5 के रूप में, बयान अन्तर्गत 164 द0प्र0सं0 के अवलोकन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रदर्श क–6 के रूप में, अभियुक्त अनिल कुमार शुक्ला की गिरफ्तारी के प्रपत्र को प्रदर्श क–7 के रूप में, सी0सी0टी0वी0 फुटेज प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों को प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 तथा अभियुक्त के मोबाईल के सी0डी0आर0 प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को प्रदर्श क–10 के रूप में तथा अभियुक्त अनिल कुमार शुक्ला के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र को प्रदर्श क–11 के रूप में प्रमाणित किया है।

21. अभियोजन की तरफ से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये बलात्कार की घटना के सम्बन्ध मे दर्ज चिक एफ0आई0आर0 व रोजनामचाआम को प्रमाणित करने के लिए पी0डब्लू0 5 हे0का0 अर्चना चौधरी, हाल तैनाती कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने न्यायालय मे परीक्षित होकर प्रस्तुत मामले की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर दिनांकित 27.02.2014 के आधार पर स्वयं के लेख व हस्ताक्षर में होने तथा उक्त मुकदमें की कायमी उसी दिन रपट नम्बर 26 पर सयम 20.10 बजे स्वयं के लेख व हस्ताक्षर में अंकित किये जाने का कथन किया है तथा चिक एफ0आई0आर0 को प्रदर्श क–12 के रूप में तथा नकल जी0डी0 को प्रदर्श क–13 के रूप में में प्रमाणित किया है।

22. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–1 में किये गये कथनों की पुष्टि साक्षी पी0डब्लू0 1 अभियोगी के साक्ष्य से नहीं हो रही है, जबकि तहरीर घटना की नींव होती है। उक्त तहरीर में किये गये कथन के आधार पर ही मुकदमें का संचालन होता है। इस प्रकरण में पीड़िता ने तहरीर में किये गये कथन से पूर्णतया विरोधाभाषी कथन किये हैं। पीड़िता की कोई मजरूबी चिट्ठी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। पीड़िता तथा अभियोगी के साक्ष्य में भी पर्याप्त विरोधाभाषी तथा अभियोजन के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विरोधाभाष के आधार पर अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अभियोजन पक्ष की ओर से बचाव पक्ष के उक्त तर्क के खण्डन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता व अभियोगी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक सिद्ध है। उनके साक्ष्य में कोई विसंगति नहीं है। सूक्ष्म

विरोधाभाषों के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को असत्य नहीं माना जा सकता।

23. उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य व धारा 376 भा०दं०सं० का अपराध गठित होने के लिए आवश्यक अवयव के संबंध में धारा 375 भा०दं०स० में विहित परिभाषा का अवलोकन किया गया।

धारा 375 भा०दं०सं० बलात्संग को निम्नवत परिभाषित करती है :– बलात्संग जो पुरुष एतस्मिन पश्चात अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छः भाँति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है, वह पुरुष ''बलात्संग'' करता है, यह कहा जाता है :–

पहला–उस स्त्री के इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा–उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा–उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है।

चौथा–उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है, कि वह ऐसा पुरुष है, जिससे यह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवां– उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्ता के कारण या उस पुरुष के द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठा–उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।

24. इस प्रकार उपरोक्त परिभाषित अपराध के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से विदित होता है कि तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियोगी द्वारा कथन किया गया है कि ''...कल दिनांक 23.02.2014 को दिन में 12 बजे के लगभग प्रार्थी की पुत्री पीड़िता उम्र लगभग 18 वर्ष घर में अकेली थी। पुत्री पीड़िता का घर में अकेला पाकर प्रार्थी का पड़ोसी अनिल शुक्ला व उसका भाई सुनील

शुक्ला पुत्रगण राम मुरारी शुक्ला मेरे घर में घुस आये तथा मेरी पुत्री को तमंचा दिखाकर उसके साथ दोनों ने बारी–बारी से बलात्कार किया। जब मैं घर आया तो मेरी पुत्री बेसुध पड़ी थी। होश में आने पर मेरी पुत्री ने सारी घटना मुझे बतायी। जाते–जाते दोनों लोगो धमकी देके गये कि किसी को यह घटना बतायी तो पूरे परिवार को जान से मार देगें।...'' इस प्रकार तहरीर प्रदर्श क–1 के परिशीलन से घटना दिनांक 23.02.2014 को दिन के 12 बजे की होना प्रकट होता है। तहरीर में लड़की को अस्पताल ले जाने या भर्ती करने का कोई वर्णन नहीं है, जबकि अपनी मुख्य परीक्षा में पी0डब्लू0 1 द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 से भिन्न करते हुये कथन किया गया है कि ''...गांव वालों द्वारा 100 नम्बर पर पुलिस को सूचना दिया गया। एम्बुलेन्स 108 नम्बर की आयी। पीड़िता को लेकर थाने आये फिर पुलिस दरोगा जी को मैने घटना के बारे में बताया तो दरोगा जी ने लड़की की गम्भीर हालत को देखते हुये कहा कि इसको कौड़िहार अस्पताल ले जाईये। लड़की को लेकर कौड़िहार अस्पताल गया फिर डाक्टर ने इलाहाबाद के लिए रिफर कर दिया। फिर मैं अपनी लड़की को लेकर डफरिन अस्पताल ले आया। वहां पर 4–5 दिन लड़की का इलाज हुआ।...'' पी0डब्लू0 1 द्वारा अपनी तहरीर में थाना नवाबगंज की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण, एस0एस0पी0 को प्रार्थनापत्र दिया जाना वर्णित किया गया है, जबकि न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में उसके द्वारा 100 नं. की पुलिस के आने तथा बेटी को थाने ले जाने पर पुलिस द्वारा ही उसे मेडिकल हेतु भेजा जाना कथित किया है। अभियोगी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि ''....दिनांक 23.02.2014 की घटना है। घटना वाले दिन मैं महेशगंज अपनी दुकान पर था। जब मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि लगभग एक–डेढ़ बजे मेरे बगल गांव का एक लड़का जो मुझे जानता–पहचानता था, मेरी दुकान महेश गंज आया और बताया कि तुम्हारे घर में कोई बात हो गयी है, आप तत्काल घर चले जाइये। इस सूचना पर मैं घर गया। घर जाकर देखा कि अगल–बगल के लोग इकट्ठा थे और मेरी लड़की बीच कमरे में बेसुध पड़ी थी। उसको बुला रहे थे, तो वह बोल नहीं रही थी। फिर पानी डाल कर मुंह धुलाये तब 10–15 मिनट में होश में आयी तो अपने उपर बीती घटना बतायी कि लगभग दिन के बारह बजे जब वह घर में अकेली थी, मां खेत पर गयी थी, उसी समय हाजिर अदालत अभियुक्त अनिल शुक्ला व इनके बड़े भाई जबरदस्ती घर में घुस आये। जबरदस्ती तमन्चा दिखाकर मेरी लड़की पीड़िता के साथ बारी–बारी से बलात्कार किया।...'' अपनी प्रति परीक्षा में उक्त साक्षी द्वारा डेढ़ बजे उक्त घटना की सूचना मिलना वर्णित किया है तथा अपने लौटने तक अपनी पुत्री का बेहोश होना भी कथित किया है। इस साक्षी द्वारा पैदल अपने घर

लौटने का कथन किया गया है तथा अपनी प्रति परीक्षा में अपने घर से दुकान की दूरी 2 कि0मी0 बताई है। इतनी देर तक उसकी पुत्री बेहोश रही तथा उसके पास–पड़ोस के लोग होने के बावजूद किसी व्यक्ति द्वारा न तो पुलिस को सूचित किया गया, न ही एम्बुलेन्स बुलाई गयी। यहां तक कि उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य भी वहां नहीं आया। यह सामान्य अनुक्रम में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पी0डब्लू0 1 अभियोगी के साक्ष्य के अनुसार वह अपनी पुत्री को लेकर पहले थाने गया था, फिर अस्पताल तथा वहां से उसकी पुत्री को इलाहाबाद इलाज हेतु भेजा गया तथा वहां उसकी पुत्री का 4–5 दिन इलाज चला, उसके बाद घर आने पर उसने किसी पड़ोसी से लिखाकर तहरीर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी, जबकि इस संबंध में प्रश्न पूछने पर पीड़िता ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि ''...जिस दिन की घटना है, उसी दिन मेरे पिता जी मुझे लेकर कप्तान साहब के यहां गये थे, ऐसा नहीं है कि घटना के दूसरे या तीसरे दिन गये हो। मुझे यह याद नहीं है कि दिनांक 23.02.2014 को कप्तान के यहां कोई कार्यवाही नहीं हुई हो और पिता जी मुझे लेकर लौट आये हो और मुझे लेकर 25.02.2014 को फिर गये हो। गवाह ने फिर कहा कि कप्तान साहब ने मुकदमा कायम करने का आदेश दिनांक 25.02.2014 को किया था। गवाह ने फिर कहा कि दिनांक 24.02.2014 को पिता जी मुझे लेकर गये, तभी मुकदमा कायम करने आदेश हुआ था। मैं जो पहले 25.02.2014 की बात बताई है, वह याद न आने के कारण बताई है।...'' तहरीर प्रदर्श क–1 के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त तहरीर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराने का आदेश दिनांक 25.02.2014 को पारित किया गया है। अभियोजन के मौखिक साक्षियों एवं प्रदर्श क–1 तहरीर के तथ्य पूर्ण रूप से विरोधाभाषी प्रकट हो रहा है, जो अभियोजन कथानक पर प्राथमिक रूप से सन्देह उत्पन्न करते हैं।

25. पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 में कथन किया गया है कि दिनांक 23.02.2014 को वह घर में अकेली थी तथा कपड़े सिल रही थी, तभी अभियुक्तगण आकर उसके घर में घुसर उसके साथ घटना कारित किये। इस संबंध में पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये आपने साक्ष्य में भी अभियुक्त के उसके घर में घुसने के समय स्वयं कपड़े सिलने का तथ्य अभिकथित किया गया है, जबकि अभियोगी पी0डब्लू0 1 जो कि पीड़िता के पिता हैं, के द्वारा न्यायालय में दिये गये अपने साक्ष्य के दौरान प्रति परीक्षा में उक्त संबंध में प्रश्न पूछें जाने पर अभियोगी द्वारा कथन किया गया है कि मेरी लड़की घर पर सिलाई नहीं करती है और न ही गांव की किसी लड़की को सिलाई सिखाती है। मूल

अभियोजन कथानक एवं घटना के संबंध में अभियोगी व पीड़िता के बयानों में उपरोक्त विरोधाभाष अभियोजन कथानक पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

26. न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में अभियोगी तथा पीड़िता दोनों के द्वारा पीड़िता के बेहोश होने के समय गांव के बहुत सारे लोगों के एकत्र हो जाने का कथन किया गया है, तब इस तथ्य के सन्दर्भ में कि आपराधिक हमले के उपरान्त पीड़िता बेहोशी की हालत में उसके पिता द्वारा पायी गयी थी, अभियोजन का यह दायित्व था कि गांव के उक्त स्वतन्त्रजन साक्षीगण का नाम प्रकट किया जाता और उनमें से किसी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित कराया जाता, किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से गांव के ऐसे किसी स्वतन्त्र साक्षी का न तो नाम प्रकट किया गया है और न ही ऐसे किसी साक्षी को परीक्षित कराया गया है। यहां तक की पीड़िता की माता जो कि पीड़िता के साथ ही रहती है को भी परीक्षित न कराया जाना सम्पूर्ण अभियोजन कथानक की सत्यता को सन्देहास्पद बनाता है।

27. अभियोगी पी0डब्लू0 1 तथा पी0डब्लू0 2 के मौखिक साक्ष्य के अनुसार घटना वाले दिन ही पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे महिला चिकित्सालय इलाहाबाद लाया गया। अभियोजन द्वारा परीक्षित पी0डब्लू0 3 डा0 अनीता यादव, जिनके द्वारा पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है, ने अपने साक्ष्य में पीड़िता का दिनांक 25.02.2014 को पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना वर्णित किया है तथा मुख्य परीक्षा में ही दिनांक 23.10.2014 को रात्रि 08.45 पी0एम0 पर पीड़िता के अस्पताल में पेट दर्द व उल्टी व जननांगों में रक्तस्राव की शिकायत की वजह से भर्ती होना भी कथित किया है, परन्तु यदि पीड़िता दिनांक 23.10.2014 को ही चिकित्सालय में भर्ती हो गयी थी तो यह तथ्य चिकित्साधिकारियों की जानकारी में क्यों नहीं लाया गया कि पीड़िता लैंगिक हमले की शिकार है, इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपितु इस संबंध में प्रश्न पूछें जाने पर पी0डब्लू0 3 डा0 अनीता यादव ने कथन किया है पीड़िता 23 फरवरी 2014 को अस्पताल में भर्ती करायी गयी थी। पुलिस द्वारा करायी गयी थी या अपने माता–पिता द्वारा इसकी जानकारी मैं अस्पताल का रिकार्ड देख कर बता सकती हूॅ, मेरी रिपोर्ट जो पत्रावली पर है, में इस बात का उल्लेख नहीं है। पीड़िता का अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद उसका मेडिकोलीगल दो दिन बाद दिनांक 25.02.2014 को 08.15 पी0एम0 पर कराये जाने का भी कोई पर्याप्त एवं सुसंगत स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से न प्रस्तुत किया जाना अभियोजन कथानक की सत्यता को संदिग्ध बनाता है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस प्रकरण में अभियोगी घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, पीड़िता के अलावा घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसके साक्ष्य के आधार पर पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना की सम्पुष्टि हो। ऐसी स्थिति में पीड़िता के एकल बयान के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है, क्योंकि पीड़िता के एकल बयान में पर्याप्त विरोधाभाष व विसंगतियां है तथा पीड़िता के बयान से तहरीर में किया गया कथन पूर्णरूप से विरोधाभाषी होना प्रकट हो रहा है। बचाव पक्ष द्वारा पीड़िता के एकल असम्पुष्टि साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप संदिग्ध होने का तर्क दिया गया।

बचाव पक्ष के उक्त तर्क का अभियोजन पक्ष द्वारा खण्डन किया गया और यह तर्क दिया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पीड़िता के बयान की सम्पुष्टि कराये जाने की आवश्यक नहीं है।

यह सही है कि चिकित्सकीय आख्या मात्र सम्पोषक साक्ष्य है और यदि सम्पोषक साक्ष्य के रूप में चिकित्सकीय आख्या में कोई विपरीत लक्षण नहीं आया तो भी पीड़िता के एकल असम्पुष्टि साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है, यदि पीड़िता का बयान विश्वसनीय हो। इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित विधि व्यवस्था महत्वपूर्ण है।

28. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **State of Panjab Vs. Gurmeet Singh (1996) SCC 384** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि :–

“The Court must, while evaluating evidence, remain alive to the fact that in a case of rape, no self-respecting woman would come forward in a court just to make a humiliating statement against her honour such as is involved in the commission of rape on her. In cases involving sexual molestation, supposed considerations which have no material effect on the veracity of the prosecution case or even discrepancies in the statement of the prosecutrix should not, unless the discrepancies are of fatal nature, be allowed to throw out an otherwise reliable prosecution case. The inherent bashfulness of females and the tendency to conceal outrage of sexual aggression are factors which the courts should not overlook. The testimony of the victim in such cases is vital and unless there are compelling reasons which necessitate looking for corroboration of her statement, the courts should find no difficulty to act on the testimony of a victim of sexual assault alone to convict an accused where her testimony inspires

confidence and is found to be reliable. Seeking corroboration of her statement before relying upon the same, as a rule, in such cases, amounts to adding insult to injury. Why should the evidence of a girl or a woman who complains of rape or sexual molestation be viewed with doubt, disbelief or suspicion? The court while appreciating the evidence of a prosecutrix may look for some assurance of her statement to satisfy its judicial conscience, since she is a witness who is interested in the outcome of the charge leveled by her, but there is no requirement of law to insist upon corroboration of her statement to base conviction of an accused. The evidence of a victim of sexual assault stands almost on par with the evidence of an injured witness and to an extent is even more reliable. Just as a witness who has sustained some injury in the occurrence, which is not found to be self-inflicted, is considered to be a good witness in the sense that he is least likely to shield the real culprit, the evidence of a victim of a sexual offence is entitled to great weight, absence of corroboration notwithstanding.

Corroborative evidence is not an imperative component of judicial credence in every case of rape. Corroboration as a condition for judicial reliance on the testimony of the prosecutrix is not a requirement of law but a guidance of prudence under given circumstances. It must not be overlooked that a woman or a girl subjected to sexual assault is not an accomplice to the crime but is a victim of another person's lust and it is improper and undesirable to test her evidence with a certain amount of suspicion, treating her as if she were an accomplice. Inferences have to be drawn from a given set of facts and circumstances with realistic diversity and not dead uniformity lest that type of rigidity in the shape of rule of law is introduced through a new form of testimonial tyranny making justice a casualty. Courts cannot cling to a fossil formula and insists upon corroboration even if, taken as a whole, the case spoken of by the victim of sex crimes strikes the judicial mind as probable."

By their very nature, sexual offences take place in privacy and are hence surrounded by secrecy. Therefore except for the evidence of prosecutrix, there can normally be no other corroborating evidence of eye witness. Hence medical evidence can be of importance in such offences. However, its absence does not become fatal to the prosecution case. The probative value of medical evidence is merely that of corroborating nature, if at all any such corroboration is necessary.

29. इस प्रकार की अन्य विधि व्यवस्था **State of Tamil Nadu Vs. Raju alias Nehru (2006) 10 SCC 534** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि :–

In this case, the Court ruled that "Rape is a crime and not a medical condition. Rape is a legal term and not a diagnosis to be made by the medical officer treating the victim. The only statement that can be made by the medical officer is that there is evidence of recent sexual activity. Whether rape has occurred or not is a legal conclusion, not a medical one." That is the reason why, even the opinion of the doctor that there was no evidence of sexual intercourse or rape is at times held to be not sufficient to disbelieve the accusation of the rape by victim.

इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में पारित अभिमत को दृष्टिगत रखते हुये पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट व पूरक रिपोर्ट में कोई विपरीत लक्षण नहीं पाया गया है तो भी पीड़िता का बयान यदि विश्वसनीय है तो उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

30. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **State of Panjab Vs. Gurmeet Singh (1996) (2) SCC 384** में यह सिद्धान्त दिया गया है कि :–

"Of late, crime against women in general and rape in particular is on the increase. It is an irony that while we are celebrating women's rights in all spheres, we show little or no concern for her honour. It is a sad reflection on the attitude of indifference of the society towards the violation of human dignity of the victims of sex crimes. We must remember that a rapist not only violates the victim's privacy and personal integrity, but inevitably causes serious psychological as well as physical harm in the process. Rape is not merely a physical assault, it is often destructive of the whole personality of the victim. A murderer destroys the physical body of his victim, a rapist degrades the very soul of the helpless female. The Court, therefore, shoulders a great responsibility while trying an accused on charges of rape. They must deal with such cases with utmost sensitivity. The Courts should examine the broader probabilities of a case and not get swayed by minor contradictions or insignificant discrepancies in the statement of the prosecutrix, which are not of a fatal nature, to throw out an otherwise reliable prosecution case. If evidence of the prosecutrix inspires confidence, it must be relied upon without seeking corroboration of her statement in material particulars. If for some reason the Court finds it difficult to place implicit reliance on her testimony, it may look for evidence which may

lend assurance to her testimony, short of corroboration required in the case of an accomplice. The testimony of the prosecutrix must be appreciated in the background of the entire case and the trial Court must be alive to its responsibility and be sensitive while dealing with cases involving sexual molestations."

31. माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा अन्य विधि व्यवस्था **State of Maharashtra Vs. Chandraprakash Kewalchand Jain (1990 (1) SCC 550)** में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि :–

"A prosecutrix of a sex-offence cannot be put on par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more. What is necessary is that the Court must be conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the Court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix. There is no rule of law or practice incorporated in the Indian Evidence Act, 1872 (in short 'Evidence Act') similar to illustration (b) to Section 114 which requires it to look for corroboration. If for some reason the Court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the Court is entitled to base a conviction on her evidence unless the same is own to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case discloses that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, the Court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence."

32. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य विधि व्यवस्था **Rameshwar Vs. The State of Rajasthan (AIR 1952 SC 54)** में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि :–

"The rule, which according to the cases has hardened into one of law, is not that corroboration is essential before there can be a conviction but that the necessity of corroboration, as a matter of prudence, except where the circumstances make it safe to dispense with it, must be present to the mind of the judge..."

33. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य विधि व्यवस्था **State of U.P. Vs. M.K. Anthony reported in (1985) 1 SCC 505** में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि :–

"While appreciating the evidence of a witness, the approach must be whether the evidence of the witness read as a whole appears to have a ring of truth. Once that impression is formed, it is undoubtedly necessary for the court to scrutinise the evidence more particularly keeping in view the deficiencies, drawbacks and infirmities pointed out in the evidence as a whole and evaluate them to find out whether it is against the general tenor of the evidence given by the witness and whether the earlier evaluation of the evidence is shaken as to render it unworthy of belief. Minor discrepancies on trivial matters not touching the core of the case, hyper-technical approach by taking sentences torn out of context here or there from the evidence, attaching importance to some technical error committed by the investigating officer not going to the root of the matter would not ordinarily permit rejection of the evidence as a whole. ..."

34. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य विधि व्यवस्था **Vijay V. State of Madhya Pradesh reported in (2010) 8 SCC 191** में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि :–

"14.Thus, the law that emerges on the issue is to the effect that the statement of the prosecutrix, if found to be worthy of credence and reliable, requires no corroboration. The court may convict the accused on the sole testimony of the prosecutrix."

इस संबंध में प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में पीड़िता की चिकित्सकीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–3 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में पीड़िता को कोई बाहरी चोट आना वर्णित नहीं है तथा पीड़िता की योनि के निचले भाग (पोस्टीरियर फोरचेट) पर एक से.मी. का ताजा सुपर फीसियल घाव होना वर्णित है। चिकित्सकीय परीक्षण आख्या जो कि दिनांक 25.02. 2014 को तैयार की गई है, में पीड़िता के मौखिक साक्ष्य की सम्पुष्टि न तो उसके शरीर पर धक्का मार कर गिराने या खींचने की कोई जाहिरा चोट है, न ही उसके

हांथ–पांव बांधे जाने के चोट के निशान है। आघात आख्या की तैयारकर्ता डा0 अनीता यादव द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी स्पष्ट किया गया कि आन्तरिक अंगों पर आयी चोट के संबंध में 24 से 48 घंटे की चोट ताजी मानी जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 23.02.2014 को 12 बजे दिन की है तथा पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण दिनांक 25.02.2014 को रात्रि 07 बजे हुआ है, जो उक्त चोट की अवधि के घटना के उपरान्त होने के तथ्य को प्रमाणित करता है। इस प्रकार चिकित्सीय आख्या तथा विशेषज्ञ साक्षी पी0डब्लू0 3 डा0 अनीता यादव के साक्ष्य से भी पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने की तथ्य की पुष्टि नहीं हो रही है।

35. साक्षी पी0डब्लू0 3 द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह भी कथन किया गया है कि ''...दिनांक 23.02.2014 से लेकर 25.02.2014 तक पीड़िता मेरे पास परीक्षण के लिए लाये जाने समय तक अस्पताल में वह रही या कहां रही यह जानकारी भी मैं अस्पताल का रिकार्ड देखकर ही दे सकती हूॅ। दिनांक 24.02.2014 को रात के 08.00 बजे पीड़िता अपने बेड से गायब थी, उसी तरह 25.02.2014 को भी सुबह 09.00 बजे जब डाक्टर राउन्ड पर थी, उसके बाद दोपहर 02.00 बजे भी पीड़िता अपने बेड पर से गायब मिली थी। इस बात का कोई स्पष्टीकरण पीड़िता या उसके माता–पिता ने मुझे या अन्य अस्पताल के अधिकारियों को नहीं दिया था।...'' पीड़िता पी0डब्लू0 2 द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 में अभियुक्त द्वारा उसके हांथ–पांव बांधने का कोई कथन नहीं किया गया है। न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर पीड़िता द्वारा अपने साक्ष्य में अभियुक्त तथा उसके भाई द्वारा उसके हांथ पैर बांध कर उसके साथ बलात्कार किया जाना कथित किया गया है। पीड़िता के चिकित्सकीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–3 में पीड़िता को कोई भी बाह्य चोट नहीं पायी गयी है। पी0डब्लू0 3 डा0 अनीता यादव द्वारा उक्त संबंध में अपनी प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि ''...पीड़िता के बाहरी अंगों पर किसी प्रकार की चोट का कोई निशान मुझे नहीं मिला था। अगर रस्सी से पीड़िता के हांथ व पैर बांधे गये हैं तो बलात्कार के समय पीड़िता द्वारा संघर्ष करने पर उसके हांथ व पैर पर बांधे हुये स्थानों पर नीलगू निशान आना चाहिए। इसी तरह अगर कपड़े से पीड़िता के हांथ–पैर बांधे गये हो तो संघर्ष के दौरान दबाव बढ़ने से नीलगू निशान आएंगे, लेकिन वे रस्सी के निशानों की तरह स्पष्ट नहीं होंगे। पीड़िता के हांथ–पैरों पर रस्सी या कपड़े से बंधे होने के कारण आने वाले निलगू निशान परीक्षण के समय मुझे नहीं दिखाई पड़े थे।...'' यहां यह तथ्य भी उल्लेख प्रदर्श क–3 में घटना के विवरण में यह स्पष्टतया वर्णित है कि पीड़िता द्वारा चिकित्सक को घटना कारित करने वालों के साथ संघर्ष

करना बताया है, इसके बावजूद हांथ पैर बंधे होने तथा घसीटने पर भी उसके शरीर पर कोई बाह्य चोट कारित न हो यह तथ्य सामान्य अनुक्रम की स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है तथा पीड़िता के पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय बना देता है। पीड़िता एवं अभियोगी के साक्ष्य में अभिवर्णित घटना क्रम के अनुरूप कोई भी चोट पीड़िता के पूरे शरीर पर न पाया जाना, मेडिको लीगल से पूर्व उसका अस्पताल से अनुपस्थित रहना और उक्त अनुपस्थिति के उपरान्त हुये मेडिकोलीगल में ताजी चोट का पाया जाना, अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से अविश्वसनीय बना देता है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता द्वारा घटना के समय दो व्यक्तियों द्वारा उसके हांथ–पैर बांध कर उसके साथ बलात्कार किये जाने का साक्ष्य दिया गया है। दौरान विवेचना एक व्यक्ति की घटना में संलिप्तता नहीं पायी गयी है। पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिये गये अपने साक्ष्य में तथा अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 में स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने का साक्ष्य दिया गया है। प्रदर्श क–3 तथा साक्षी पी0डब्लू0 3 डा0 अनीता यादव, जिसके द्वारा पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है, के साक्ष्य में आया है कि पीड़िता ने चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान वही कपड़े पहने थे, जो उसने घटना के समय पहने हुये थे। उक्त कपड़े विवेचक द्वारा डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु भेजे गये थे, जिसकी आख्या 36ख पत्रावली में संलग्न है। उक्त आख्या के अनुसार "...**CONCLUSION :** Since the sources of exhibit A (two slides), exhibit B (petticoat), exhibit C (bra) have yielded female DNA profiles. There-fore, no opinion is herewith furnished." उपरोक्त डी0एन0ए0 परीक्षण आख्या में पीड़िता के किसी भी वस्त्र पर पुरूष का डी0एन0ए0 न पाया जाना सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से अविश्वसनीय एवं असत्य प्रमाणित करता है।

36. इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में पारित अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण मे पीड़िता के साक्ष्य के परिशीलन से प्रकट होता है पीड़िता का अपनी तहरीर में कथन है कि अभियुक्त ने उसके घर मे घुसकर उसकी इच्छा व सम्मति के बिना दिनांक 23.02.2024 को उसके साथ बलात्कार किया। इस बिन्दु पर ऊपर किए गए परिचर्चा के आधार पर यह पाया गया कि पीड़िता के बयान के अनुसार उसका हाथ बांध कर उसके साथ बलात्कार किया गया। उसे दो बार धक्का दिया गया। बलात्कार के समय वह तख्त पर थी जबकि वह अभियोगी के अनुसार वह फर्श पर बेहोश मिली। परंतु न तो पीड़िता के शरीर पर बांधने की कोई चोट पाई गई न ही शरीर में अपितु उसके जननांग पर लैंगिक अपराध से दो दिन बाद ताजा घाव पाया गया है तथा उस परीक्षण के पूर्व वह चिकित्सालय से अनुपस्थित थी यह तथ्य चिकित्सक द्वारा स्वीकार किया गया है। पीड़िता के साक्ष्य

के उपरोक्त व्याप्त विसंगितयों के दृष्टिगत पीड़िता के एकल बयान का सम्पोषण कराये बिना अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में यही अभिमत व्यक्त किया है कि यदि पीड़िता का बयान विश्वास योग्य होना पाया जाए तो उसके एकल बयान के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। इस प्रकरण में पीड़िता के एकल बयान मे पर्याप्त विरोधभास व विसंगतियां होने के कारण पीड़िता के बयान की सम्पुष्टि आवश्यक है, परन्तु पीड़िता के बयान की सम्पुष्टि हेतु कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है। ऐसी स्थिति में बचावपक्ष का उठाया गया उक्त तर्क कि पीड़िता के एकल असम्पुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नही किया जा सकता है, बलपूर्ण है।

37. प्रस्तुत प्रकरण में दो व्यक्तियों द्वारा घटना कारित करना वर्णित किया गया है तथा दोनों व्यक्ति पीड़िता के पड़ोसी होना भी वर्णित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा एक आरोपी की उपस्थिति दिल्ली आनन्द बिहार स्टेशन पर होने के साक्ष्य संकलन के उपरान्त उक्त आरोपी सुशील कुमार का नाम निकालते हुये धारा 376डी भा0दं0सं0 का लोप कर, मात्र अभियुक्त अनिल कुमार शुक्ला के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पीड़िता व अभियोगी द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर पुनः तहरीर के अनुरूप ही घटना वर्णित करते हुये दो व्यक्तियों द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया जाना कथित किया गया तथा न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आरोपी सुशील कुमार को धारा 319 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत आहूत किये जाने की प्रार्थना की। उक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 11.10.2018 के द्वारा घटना के समय द्वितीय आरोपी के दिल्ली में होना पाते हुये अपास्त किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र पारित आदेश को अभियोजन द्वारा उच्चतर न्यायालय के समक्ष चुनौती दिये जाने कोई अभिकथन नहीं किया गया है। उक्त सभी तथ्य समेकित रूप में अभियोगी व पीड़िता के बयान को न केवल अविश्वसनीय बनाते हैं अपितु विचार कर किसी दूषित मंशा से आपराधिक वाद योजित करने के तथ्य को बल प्रदान करते हैं।

38. उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष प्रकाश में आता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 452, 506 के अन्तर्गत विरचित आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से रहित सिद्ध करने में सफल नहीं है, जिससे अभियुक्त उक्त आरोपों में दोषसिद्ध किये जाने योग्य नहीं हैं तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

i. अभियुक्त अनिल कुमार शुक्ला को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 452, 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

ii. विचारण के दौरान अभियुक्त अनिल कुमार शुक्ला जमानत पर रहा है, उसके जमानतनामें तथा बंधनामें निरस्त किए जाते हैं तथा उसके प्रतिभूओं को उन्मोचित किया जाता है।

iii. द0प्र0सं0 की धारा 437ए के प्राविधानों के अनुपालन में अभियुक्त को मु0 20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये) का बन्धपत्र तथा इसी धनराशि की एक प्रतिभू इस निर्णय से पन्द्रह दिन की अवधि के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(अनुराधा पुण्डीर)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 2, प्रयागराज
J.O. Code No. UP 6343

दिनांक 10.07.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय मे उद्घोषित किया गया।

(अनुराधा पुण्डीर)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 2, प्रयागराज
J.O. Code No. UP 6343

दिनांक 10.07.2026

Digitally signed by ANURADHA PUNDIR
Date: 2026.07.13 10:16:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court